मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967

(क्रमांक 16 सन् 1967)

[14 जुलाई, 1967]

दिनांक 14 जुलाई, 1967 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक 17 जुलाई, 1967 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।

कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को राज्य विधान-मंडल के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न बनाने वाले घोषित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :--

1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 कहा जा सकेगा ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "समिति" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो ;

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो।

3. निरर्हता निवारण--(1) कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह सरकार के अधीन लाभ के पदों में से, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, कोई भी पद धारण करता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी समिति के सभापति या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है :

परंतु किसी ऐसे पद के धारक को निम्नलिखित से अनधिक यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते से भिन्न कोई फीस, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं मिलता हो--

(i) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य न हो तो राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के आफिसर के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता, और

(ii) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, तो लोक सभा के सदस्य या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य के लिए, धारण किए गए पद के केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होने की दशा के अनुसार, स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "सभापति" के अंतर्गत अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" आएगी ।

4. निरसन--मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन आफ डिसक्वालीफिकेशन ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1957) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा 3(1) देखिए]

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।

3. राज्य मंत्री ।

4. उप-मंत्री ।

5. संसदीय सचिव ।

6. महाधिवक्ता ।

7. सरकारी प्लीडर ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) में यथापरिभाषित लोक अभियोजक ।

9. मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति ।

10. प्रोविन्शियल इन्साल्वेंसी ऐक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर ।

11. मध्य प्रदेश इरीगेशन ऐक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 62 के अधीन बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच ।

12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद ।

13. रिजर्व्ड एंड आक्जीलरी ऐयर फोर्सेस ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 62 सन् 1952) के अधीन स्थापित की गई आक्जीलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व में का कोई भी पद ।

14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्तूबर, सन् 1962 के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् छः मास के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का सदस्य ।

15. ऐसे बीमाकर्ता के अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावीजन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद ।

स्पष्टीकरण--मद 15 के प्रयोजन के लिए "बीमाकर्ता" तथा "नियंत्रित कारबार" के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावीजन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं ।

16. मध्य प्रदेश विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद ।

स्पष्टीकरण--मद 16 के प्रयोजन के लिए विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्य प्रदेश विधान-मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में दिया गया है ।

17. किसी कानूनी निकाय का सभापति तथा उप-सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

स्पष्टीकरण--मद 17 के प्रयोजन के लिए, उस पद के लिए जो इसमें वर्णित है, अंतर्गत आएगा, किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः भारित मद 17 में वर्णित पद ।

18. मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सचिव ।